धारा 146 : सामान्य पोर्टल

सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकरण को सुकर बनाने के लिए, कर के संदाय, विवरणी को प्रस्तुत करने, एकीकृत कर की संगणना और समाधान, इलैक्ट्रोनिक माध्यम से बिल और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं, के लिए माल और सेवा कर संबंधी सामान्य इलैक्ट्रोनिक पोर्टल को अधिसूचित कर सकेगी।